आइसडैश एवं अतिथि

प्रीलिम्स के लिये:

आइसडैश एवं अतिथि पहल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

मेन्स के लिये:

आइसडैश तथा अतिथि पहल से लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 'आइसडैश' (ICEDASH) तथा 'अतिथि' (ATITHI) नामक दो नई सूचना तकनीकी पहलें शुरू की गई हैं।

मुख्य बिंदु:

- वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC) के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों तथा हवाई-अड्डों पर आयातित वस्तुओं के 'कस्टम क्लियरेंस' (Custom Clearance) को गति प्रदान करने तथा उसकी निगरानी करने के लिये 'आइसडैश' नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड तथा भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिये 'अतिथि' नामक मोबाइल एप लॉन्च किया गया।

'आइसडैश' तथा इसके लाभ:

- 'आइसडैश' सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत में कारोबार की सुगमता की निगरानी करने के लिये CBIC के अंतर्गत शुरू किया गया एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है।
- इस पहल की सहायता से आयातक तथा सामान्य लोग यह देख सकेंगे कि देश के किसी बंदरगाह अथवा हवाई-अड्डे पर आयातित सामान के 'कस्टम क्लियरेंस' की क्या स्थिति है।
- CBIC ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) के साथ मिलकर इस डैशबोर्ड को विकसित किया है।
- 'आइसडैश' के माध्यम से 'कस्टम क्लियरेंस' संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के साथ-साथ हस्तक्षेप में कमी आएगी।

'अतिथि' तथा इसके लाभ:

- अतिथि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अग्रिम रूप से सीमा शुल्क विभाग को यह जानकारी दे सकेंगे कि वे अपने साथ कौन-कौन सी कर योग्य वस्तु तथा कितनी मुद्रा लेकर आ रहे हैं।
- 'अतिथि' एप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा त्वरित क्लियरेंस और सुगम आगमन की सुविधा दी जाएगी जिससे हमारे हवाई-अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा अन्य आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी।
- 'अतिथि' एप द्वारा भारतीय सीमा शुल्क विभाग की विश्व में 'टेक सेवी' [(Tech Savvy) तकनीक प्रेमी] छवि बनेगी, जिसके माध्यम से भारत में पर्यटन और व्यापार यात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC):

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है।
- यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST (Integrated Goods and Service Tax) का उद्ग्रहण तथा संग्रह का कार्य करता है।
- सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST तथा नारकोटिक्स से जुड़े तस्करी तथा प्रशासन संबंधी मुद्दे CBIC के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- पूर्व में इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था।

स्रोत- PIB

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/icedash-atithi